भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1878

(दिनांक 22.12.2022 को उत्तर के लिए)

केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी समुदाय

1878. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग केंद्रीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पाने में पिछड़ रहे हैं;

(ख) वर्तमान में 27 प्रतिशत के सापेक्ष कितने प्रतिशत ओबीसी समुदाय के लोगों को केंद्रीय सेवाओं में समाहित किया जा सका है;

(ग) अब तक निर्धारित 27 प्रतिशत तक सेवाओं में नहीं आने का कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार ओबीसी आरक्षण को समय-सीमा के भीतर पूरा करने का विचार रखती है; और

(ड.) यदि हां, तो आरक्षण पूरा करने हेतु सरकार ने तत्काल क्या कदम उठाने का मन बनाया है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड.) : केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष, अर्थात वर्ष 2011 से 2021 तक 27 प्रतिशत से अधिक है।

रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने उप सचिव और इससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट करने और कर्तव्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए हैं, ताकि आरक्षण से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

******